संख्या:72/2019/3508जेएल/22-3-19-100(38)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 अगस्त, 2019***

विषय: केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मनोज ओझा पुत्र श्री पुरूषोत्तम ओझा को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-24289/सामा-1(3)/आगरा/2019, दिनांक 06-08-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मनोज ओझा पुत्र श्री पुरूषोत्तम ओझा को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:72/2019/3508जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा/गौतमबुद्धनगर।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा/गौतमबुद्धनगर।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा एवं अधीक्षक, जिला कारागार गौतमबुद्धनगर।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in